



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-04062022-236295
CG-DL-W-04062022-236295

xxxGIDHxxx
xxxGIDExxx

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 11]	नई दिल्ली, मई 29—जून 4, 2022, शनिवार/ज्येष्ठ 8— ज्येष्ठ 14, 1944
No. 11]	NEW DELHI, MAY 29—JUNE 4, 2022, SATURDAY/JYAISTHA 8—JYAISTHA 14, 1944

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए साधारण आदेश और अधिसूचनाएं
Orders and Notifications issued by the Central Authorities (Other than the Administrations of Union Territories)

भारत निर्वाचन आयोग
आदेश

नई दिल्ली, 9 मई, 2022

आ.अ. 64.— यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मध्य प्रदेश राज्य की विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./66/2018 दिनांक 06.10.2018 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 11.12.2018 थी।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः, संबंधित रिटर्निंग अधिकारी 17-ग्वालियर दक्षिण विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के परिणाम 11.12.2018 को घोषित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10.01.2019 थी।

और यतः, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मध्य प्रदेश के दिनांक 20.01.2019 के पत्र सं. 10-क/चार/निर्वा.व्यय लेखा/4-ग्वालियर/2019/943 द्वारा अग्रेषित जिला निर्वाचन अधिकारी, ग्वालियर जिला, मध्य प्रदेश द्वारा दिनांक 17.01.2019 को प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार श्री दिलीप मिश्रा, मध्य प्रदेश के 17-ग्वालियर दक्षिण विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले आम आदमी पार्टी के अभ्यर्थी, अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, ग्वालियर जिला, मध्य प्रदेश की रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री दिलीप मिश्रा को कारण बताओ नोटिस दिनांक 03.07.2019 को जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 03.07.2019 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री दिलीप मिश्रा को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर आयोग में लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, पूर्ण निर्वाचन व्यय का लेखा संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करें;

और यतः, उक्त नोटिस उनके पिता द्वारा 17.08.2020 को प्राप्त किया गया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, ग्वालियर द्वारा दिनांक 23.02.2021 के पत्र संख्या निर्वा/25-6/70/2018/2073 द्वारा आयोग को प्रस्तुत कर दी गई थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, ग्वालियर द्वारा अपने दिनांक 23.02.2021 के पत्र सं. निर्वा /25-6/70/2018/2073 के तहत प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री दिलीप मिश्रा ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही मूल वाउचरों आदि के साथ विधिवत रूप से हस्ताक्षरित अपने निर्वाचन व्यय के सही लेखे का विवरण प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक् नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त असफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री दिलीप मिश्रा, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास इस असफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा न्यायोचित्य नहीं है;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

- (क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- (ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा, मध्य प्रदेश राज्य की विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 के 17-ग्वालियर दक्षिण विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से

निर्वाचन लड़ने वाले आम आदमी पार्टी के अभ्यर्थी, श्री दिलीप मिश्रा, निवासी 152, शिव कॉलोनी, ढोलीबुआ का पुल, लश्कर, ग्वालियर, म.प्र. को संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा अथवा विधान परिषद् के लिए सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[फा. सं. 76/म.प्र.-वि.स./2018/पश्चिम-1]

आदेश से,

अमित कुमार, सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

ORDER

New Delhi, the 9th May, 2022

O.N. 64.—WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Madhya Pradesh, 2018 was announced by Election Commission of India vide Press Note No ECI/PN/66/2018 dated 06.10.2018. As per the schedule, the Date of Counting of votes was 11.12.2018.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the date of election of returned candidate;

AND WHEREAS, the result of **17-Gwalior South** Assembly Constituency was declared by the Returning Officer concerned on 11.12.2018. As such the last date for lodging of account of election expenses was 10.01.2019.

AND WHEREAS, as per the report dated **17.01.2019** submitted by the District Election Officer, **Gwalior** District, Madhya Pradesh and forwarded by Chief Electoral Officer, Madhya Pradesh vide letter No.**10-A/Four/Elec.Expenditure Account/4-Gwalior/2019/943** dated **20.01.2019**, **Shri Dileep Mishra**, contesting candidate of **Aam Aadmi Party** from **17-Gwalior South** Assembly Constituency of Madhya Pradesh, **failed to lodge any account of his election expenses.**

AND WHEREAS, on the basis of the report of the District Election Officer, **Gwalior** District, Madhya Pradesh, a Show Cause notice dated **03.07.2020** was issued by the Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 to **Shri Dileep Mishra** for non submission of accounts of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule(6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice dated **03.07.2019**, **Shri Dileep Mishra** was directed to submit his representation in writing to the Commission explaining the reason for non submission of accounts and also to lodge his complete accounts of election expenses to the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by **his father** on **17.08.2020**. Acknowledgment receipt obtained from the candidate has been submitted to the Commission by District Election Officer, **Gwalior** vide his letter No. **Elec./25-6/70/2018/2073** dated **23.02.2021**.

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, **Gwalior** vide his letter No. **Elec./25-6/70/2018/2073** dated **23.02.2021** it has been stated that **Shri Dileep Mishra** has not submitted any representation or a statement of correct account of his election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he has neither furnished any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, Commission is satisfied that **Shri Dileep Mishra** has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that :-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act; and

- (b) has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Shri Dileep Mishra**, resident of **152, Shiv Colony, Dolybua Ka Pul, Lashkar, Gwalior, MP** the contesting candidate of **Aam Aadmi Party** for the General Election to the Legislative Assembly of Madhya Pradesh, 2018 from **17-Gwalior South** Assembly Constituency, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/MP-LA/2018/WS-I]

By Order,

AMIT KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 9 मई, 2022

आ.अ. 65.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मध्य प्रदेश राज्य की विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./66/2018 दिनांक 06.10.2018 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 11.12.2018 थी।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः, संबंधित रिटर्निंग अधिकारी **17-ग्वालियर दक्षिण** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के परिणाम 11.12.2018 को घोषित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10.01.2019 थी।

और यतः, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मध्य प्रदेश के दिनांक 20.01.2019 के पत्र सं. **10-क/चार/निर्वा.व्यय लेखा/4-ग्वालियर/2019/943** द्वारा अग्रेषित जिला निर्वाचन अधिकारी, ग्वालियर जिला, मध्य प्रदेश द्वारा दिनांक 17.01.2019 को प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार श्री गजेन्द्र सिंह कुशवाह, मध्य प्रदेश के **17-ग्वालियर दक्षिण** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले **राष्ट्रीय रक्षक मोर्चा पार्टी** के अभ्यर्थी, अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, ग्वालियर जिला, मध्य प्रदेश की रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री गजेन्द्र सिंह कुशवाह को कारण बताओ नोटिस दिनांक 03.07.2019 को जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 03.07.2019 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री गजेन्द्र सिंह कुशवाह को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर आयोग में लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, पूर्ण निर्वाचन व्यय का लेखा संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करें;

और यतः, उक्त नोटिस उनके द्वारा 17.08.2020 को प्राप्त किया गया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, ग्वालियर द्वारा दिनांक 23.02.2021 के पत्र संख्या निर्वा/25-6/70/2018/2073 द्वारा आयोग को प्रस्तुत कर दी गई थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, ग्वालियर द्वारा अपने दिनांक 23.02.2021 के पत्र सं. निर्वा/25-6/70/2018/2073 के तहत प्रस्तुत की गई अनुरूप रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री गजेन्द्र सिंह कुशवाह ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही मूल वाउचरों आदि के साथ विधिवत रूप से हस्ताक्षरित अपने निर्वाचन व्यय के सही लेखे का विवरण प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक् नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त असफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री गजेन्द्र सिंह कुशवाह, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास इस असफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा न्यायोचित्य नहीं है;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

- (क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- (ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा, मध्य प्रदेश राज्य की विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 के 17-ग्वालियर दक्षिण विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले राष्ट्रीय रक्षक मोर्चा के अभ्यर्थी, श्री गजेन्द्र सिंह कुशवाह, निवासी - सुनारों की बगिया, जेल रोड़, रामदास घाटी, ग्वालियर, म.प्र. को संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा अथवा विधान परिषद् के लिए सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[फा. सं. 76/म.प्र.-वि.स./2018/पश्चिम-1]

आदेश से,

अमित कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 9th May, 2022

O.N. 65.—WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Madhya Pradesh, 2018 was announced by Election Commission of India vide Press Note No ECI/PN/66/2018 dated 06.10.2018. As per the schedule, the Date of Counting of votes was 11.12.2018.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the date of election of returned candidate;

AND WHEREAS, the result of 17-Gwalior South Assembly Constituency was declared by the Returning Officer concerned on 11.12.2018. As such the last date for lodging of account of election expenses was 10.01.2019.

AND WHEREAS, as per the report dated **17.01.2019** submitted by the District Election Officer, **Gwalior** District, Madhya Pradesh and forwarded by Chief Electoral Officer, Madhya Pradesh vide letter No.**10-A/ Four/ Elec.Expenditure Account/4-Gwalior/2019/943** dated **20.01.2019**, **Shri Gajendra Singh Kushwah**, contesting candidate of **Rastriya Rakshak Morcha** from **17-Gwalior South** Assembly Constituency of Madhya Pradesh, **failed to lodge any account of his election expenses.**

AND WHEREAS, on the basis of the report of the District Election Officer, **Gwalior** District, Madhya Pradesh, a Show Cause notice dated **03.07.2020** was issued by the Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 to **Shri Gajendra Singh Kushwah** for non submission of accounts of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule(6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice dated **03.07.2019**, **Shri Gajendra Singh Kushwah** was directed to submit his representation in writing to the Commission explaining the reason for non submission of accounts and also to lodge his complete accounts of election expenses to the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by **him** on **17.08.2020**. Acknowledgment receipt obtained from the candidate has been submitted to the Commission by District Election Officer, **Gwalior** vide his letter No. **Elec./25-6/70/2018/2073** dated **23.02.2021**.

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, **Gwalior** vide his letter No. **Elec./25-6/70/2018/2073** dated **23.02.2021** it has been stated that **Shri Gajendra Singh Kushwah** has not submitted any representation or a statement of correct account of his election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he has neither furnished any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, Commission is satisfied that **Shri Gajendra Singh Kushwah** has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that :-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act; and
- (b) has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Shri Gajendra Singh Kushwah**, resident of **Village – Sunaron Ki Bagiya, Jail Road, Ramdas Ghati, Gwalior, MP** the contesting candidate of **Rastriya Rakshak Morcha** for the General Election to the Legislative Assembly of Madhya Pradesh, 2018 from **17-Gwalior South** Assembly Constituency, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No.76/MP-LA/2018/WS-I]

By Order,

AMIT KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 9 मई, 2022

आ.अ. 66.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मध्य प्रदेश राज्य की विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./66/2018 दिनांक 06.10.2018 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 11.12.2018 थी।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः, संबंधित रिटर्निंग अधिकारी **158-इछावर** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के परिणाम 11.12.2018 को घोषित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10.01.2019 थी।

और यतः, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मध्य प्रदेश के दिनांक **19.01.2019** के पत्र सं. **10-क/चार/निर्वा.व्यय लेखा/35-सीहोर/2019/924** द्वारा अग्रेषित जिला निर्वाचन अधिकारी, **सीहोर** जिला, मध्य प्रदेश द्वारा दिनांक **17.01.2019** को प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार **श्री नवीन जाटव**, मध्य प्रदेश के **158-इछावर** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी, अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **सीहोर** जिला, मध्य प्रदेश की रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए **श्री नवीन जाटव** को कारण बताओ नोटिस दिनांक **07.08.2019** को जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक **07.08.2019** के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए **श्री नवीन जाटव** को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर आयोग में लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, पूर्ण निर्वाचन व्यय का लेखा संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करें;

और यतः, उक्त नोटिस उनके द्वारा **18.09.2019** को प्राप्त किया गया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, **सीहोर** द्वारा दिनांक **26.09.2020** के पत्र संख्या **265/निर्वा./वि.स.2018/2020** द्वारा आयोग को प्रस्तुत कर दी गई थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **सीहोर** द्वारा अपने दिनांक **26.09.2020** के पत्र सं. **265/निर्वा./वि.स.2018/2020** के तहत प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि **श्री नवीन जाटव** ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही मूल वाउचरों आदि के साथ विधिवत रूप से हस्ताक्षरित अपने निर्वाचन व्यय के सही लेखे का विवरण प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक् नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त असफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि **श्री नवीन जाटव**, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास इस असफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा न्यायोचित्य नहीं है;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

- (क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- (ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा, मध्य प्रदेश राज्य की विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 के **158-इछावर** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी, **श्री नवीन जाटव**, निवासी ग्राम – बिजलोन, पोस्ट – बिजलोन, तह. – सीहोर, जिला -

सीहोर, म.प्र. को संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा अथवा विधान परिषद् के लिए सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[फा. सं. 76/म.प्र.-वि.स./2018/पश्चिम-1]

आदेश से,

अमित कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 9th May, 2022

O.N. 66.—WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Madhya Pradesh, 2018 was announced by Election Commission of India vide Press Note No ECI/PN/66/2018 dated 06.10.2018. As per the schedule, the Date of Counting of votes was 11.12.2018.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the date of election of returned candidate;

AND WHEREAS, the result of **158-Ichhawar** Assembly Constituency was declared by the Returning Officer concerned on 11.12.2018. As such the last date for lodging of account of election expenses was 10.01.2019.

AND WHEREAS, as per the report dated **17.01.2019** submitted by the District Election Officer, **Sehore** District, Madhya Pradesh and forwarded by Chief Electoral Officer, Madhya Pradesh vide letter No.10-A/ **Four/Elec.Expenditure Account/35-Sehore/2019/924** dated **19.01.2019**, **Shri Naveen Jatav, Independent** contesting candidate from **158-Ichhawar** Assembly Constituency of Madhya Pradesh, **failed to lodge any account of his election expenses.**

AND WHEREAS, on the basis of the report of the District Election Officer, **Sehore** District, Madhya Pradesh, a Show Cause notice dated **07.08.2019** was issued by the Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 to **Shri Naveen Jatav** for non submission of accounts of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule(6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice dated **07.08.2019**, **Shri Naveen Jatav** was directed to submit his representation in writing to the Commission explaining the reason for non submission of accounts and also to lodge his complete accounts of election expenses to the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by **him** on **18.09.2019**. Acknowledgment receipt obtained from the candidate has been submitted to the Commission by District Election Officer, **Sehore** vide his letter No. **265/Elec./L.A.2018/2020** dated **26.09.2020**.

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, **Sehore** vide his letter No. **265/Elec./L.A.2018/2020** dated **26.09.2020** it has been stated that **Shri Naveen Jatav** has not submitted any representation or a statement of correct account of his election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he has neither furnished any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, Commission is satisfied that **Shri Naveen Jatav** has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that :-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act; and
- (b) has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Shri Naveen Jatav**, resident of **Village – Bijlon, Post – Bijlon, Tehsil – Sehore, District – Sehore, MP** the contesting **Independent** candidate for the General Election to the Legislative Assembly of Madhya Pradesh, 2018 from **158-Ichhawar** Assembly Constituency, to be disqualified for

being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/MP-LA/2018/WS-I]

By Order,

AMIT KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 9 मई, 2022

आ.अ. 67.— यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मध्य प्रदेश राज्य की विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./66/2018 दिनांक 06.10.2018 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 11.12.2018 थी।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः, संबंधित रिटर्निंग अधिकारी 158-इछावर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के परिणाम 11.12.2018 को घोषित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10.01.2019 थी।

और यतः, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मध्य प्रदेश के दिनांक 19.01.2019 के पत्र सं. 10-क/चार/निर्वा.व्यय लेखा/35-सीहोर/2019/924 द्वारा अग्रेषित जिला निर्वाचन अधिकारी, सीहोर जिला, मध्य प्रदेश द्वारा दिनांक 17.01.2019 को प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार श्री राजेश जांगड़े, मध्य प्रदेश के 158-इछावर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले बहुजन समाज पार्टी के अभ्यर्थी, अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, सीहोर जिला, मध्य प्रदेश की रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री राजेश जांगड़े को कारण बताओ नोटिस दिनांक 07.08.2019 को जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 07.08.2019 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री राजेश जांगड़े को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर आयोग में लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, पूर्ण निर्वाचन व्यय का लेखा संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करें;

और यतः, उक्त नोटिस उनके द्वारा 31.08.2019 को प्राप्त किया गया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, सीहोर द्वारा दिनांक 26.09.2020 के पत्र संख्या 265/निर्वा./वि.स.2018/2020 द्वारा आयोग को प्रस्तुत कर दी गई थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, सीहोर द्वारा अपने दिनांक 05.02.2021 के पत्र सं. 46/निर्वा./ वि.स. 2 018/2021 के तहत प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री राजेश जांगड़े ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही मूल वाउचरों आदि के साथ विधिवत रूप से हस्ताक्षरित अपने निर्वाचन व्यय के सही

लेखे का विवरण प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक् नोटिस मिलने के उपरान्त भी उक्त असफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि **श्री राजेश जांगड़े**, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास इस असफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा न्यायोचित्य नहीं है;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

- (क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- (ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा, मध्य प्रदेश राज्य की विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 के **158-इछावर** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले **बहुजन समाज पार्टी** के अभ्यर्थी, **श्री राजेश जांगड़े**, निवासी राममन्दिर के पास, ग्राम – बिलकिसगंज, तह. व जिला सीहोर (मध्य प्रदेश), को संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा अथवा विधान परिषद् के लिए सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[फा. सं. 76/म.प.-वि.स./2018/पश्चिम-1]

आदेश से,

अमित कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 9th May, 2022

O.N. 67.—WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Madhya Pradesh, 2018 was announced by Election Commission of India vide Press Note No ECI/PN/66/2018 dated 06.10.2018. As per the schedule, the Date of Counting of votes was 11.12.2018.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the date of election of returned candidate;

AND WHEREAS, the result of **158-Ichhawar** Assembly Constituency was declared by the Returning Officer concerned on 11.12.2018. As such the last date for lodging of account of election expenses was 10.01.2019.

AND WHEREAS, as per the report dated **17.01.2019** submitted by the District Election Officer, **Sehore** District, Madhya Pradesh and forwarded by Chief Electoral Officer, Madhya Pradesh vide letter No.10-A/ **Four/ Elec.Expenditure Account/35-Sehore/2019/924** dated **19.01.2019**, **Shri Rajesh Jangde**, contesting candidate of **Bahujan Samaj Party** from **158-Ichhawar** Assembly Constituency of Madhya Pradesh, **failed to lodge any account of his election expenses.**

AND WHEREAS, on the basis of the report of the District Election Officer, **Sehore** District, Madhya Pradesh, a Show Cause notice dated **07.08.2019** was issued by the Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 to **Shri Rajesh Jangde** for non submission of accounts of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule(6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice dated **07.08.2019**, **Shri Rajesh Jangde** was directed to submit his representation in writing to

the Commission explaining the reason for non submission of accounts and also to lodge his complete accounts of election expenses to the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by **him** on **31.08.2019**. Acknowledgment receipt obtained from the candidate has been submitted to the Commission by District Election Officer, **Sehore** vide his letter No. **265/Elec./L.A.2018/2020** dated **26.09.2020**.

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, **Sehore** vide his letter No. **46/Elec./L.A.2018/2021** dated **05.02.2021** it has been stated that **Shri Rajesh Jangde** has not submitted any representation or a statement of correct account of his election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he has neither furnished any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, Commission is satisfied that **Shri Rajesh Jangde** has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that :-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act; and
- (b) has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Shri Rajesh Jangde**, resident of **Rammandir ke pass, Village - Bilkisganj, Tehsil & District – Sehore (M.P.)**, the contesting candidate of **Bahujan Samaj Party** for the General Election to the Legislative Assembly of Madhya Pradesh, 2018 from **158-Ichhawar** Assembly Constituency, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No.76/MP-LA/2018/WS-I]

By Order,

AMIT KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 9 मई, 2022

आ.अ. 68.— यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मध्य प्रदेश राज्य की विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./66/2018 दिनांक 06.10.2018 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 11.12.2018 थी।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः, संबंधित रिटर्निंग अधिकारी **158-इछावर** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के परिणाम 11.12.2018 को घोषित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10.01.2019 थी।

और यतः, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मध्य प्रदेश के दिनांक **19.01.2019** के पत्र सं. **10-क/चार/निर्वा.व्यय लेखा/35-सीहोर/2019/924** द्वारा अग्रेषित जिला निर्वाचन अधिकारी, सीहोर जिला, मध्य प्रदेश द्वारा दिनांक

17.01.2019 को प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार **श्री संतोष कुमार वर्मा**, मध्य प्रदेश के **158-इछावर** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी, अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **सीहोर** जिला, मध्य प्रदेश की रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए **श्री संतोष कुमार वर्मा** को कारण बताओ नोटिस दिनांक **07.08.2019** को जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक **07.08.2019** के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए **श्री संतोष कुमार वर्मा** को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर आयोग में लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, पूर्ण निर्वाचन व्यय का लेखा संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करें;

और यतः, उक्त नोटिस उनके द्वारा **31.08.2019** को प्राप्त किया गया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, **सीहोर** द्वारा दिनांक **26.09.2020** के पत्र संख्या **265/निर्वा./वि.स.2018/2020** द्वारा आयोग को प्रस्तुत कर दी गई थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **सीहोर** द्वारा अपने दिनांक **26.09.2020** के पत्र सं. **265/निर्वा./वि.स.2018/2020** के तहत प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि **श्री संतोष कुमार वर्मा** ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही मूल वाउचरों आदि के साथ विधिवत रूप से हस्ताक्षरित अपने निर्वाचन व्यय के सही लेखे का विवरण प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक् नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त असफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि **श्री संतोष कुमार वर्मा**, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास इस असफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा न्यायोचित्य नहीं है;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

- (क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- (ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा, मध्य प्रदेश राज्य की विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 के **158-इछावर** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी, **श्री संतोष कुमार वर्मा**, निवासी ग्राम – **हालियाखेड़ी**, पोस्ट – **तोरनिया**, तहसील – **इछावर**, जिला - **सीहोर**, म.प्र. **466115** को संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा अथवा विधान परिषद् के लिए सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[फा. सं. 76/म.प्र.-वि.स./2018/पश्चिम-1]

आदेश से,

अमित कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 9th May, 2022

O.N. 68.—WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Madhya Pradesh, 2018 was announced by Election Commission of India vide Press Note No ECI/PN/66/2018 dated 06.10.2018. As per the schedule, the Date of Counting of votes was 11.12.2018.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the date of election of returned candidate;

AND WHEREAS, the result of **158-Ichhawar** Assembly Constituency was declared by the Returning Officer concerned on 11.12.2018. As such the last date for lodging of account of election expenses was 10.01.2019.

AND WHEREAS, as per the report dated **17.01.2019** submitted by the District Election Officer, **Sehore** District, Madhya Pradesh and forwarded by Chief Electoral Officer, Madhya Pradesh vide letter No.10-A/ **Four/Elec.Expenditure Account/35-Sehore/2019/924** dated **19.01.2019**, **Shri Santosh Kumar Verma, Independent** contesting candidate from **158-Ichhawar** Assembly Constituency of Madhya Pradesh, **failed to lodge any account of his election expenses.**

AND WHEREAS, on the basis of the report of the District Election Officer, **Sehore** District, Madhya Pradesh, a Show Cause notice dated **07.08.2019** was issued by the Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 to **Shri Santosh Kumar Verma** for non submission of accounts of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule(6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice dated **07.08.2019**, **Shri Santosh Kumar Verma** was directed to submit his representation in writing to the Commission explaining the reason for non submission of accounts and also to lodge his complete accounts of election expenses to the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by **him** on **31.08.2019**. Acknowledgment receipt obtained from the candidate has been submitted to the Commission by District Election Officer, **Sehore** vide his letter No. **265/Elec./L.A.2018/2020** dated **26.09.2020**.

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, **Sehore** vide his letter No. **265/Elec./L.A.2018/2020** dated **26.09.2020** it has been stated that **Shri Santosh Kumar Verma** has not submitted any representation or a statement of correct account of his election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he has neither furnished any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, Commission is satisfied that **Shri Santosh Kumar Verma** has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that :-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act; and
- (b) has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Shri Santosh Kumar Verma**, resident of **Village – Haliyakhedi, Post – Toraniya, Tehsil – Ichhawar, District – Sehore, (M.P.) 466115** the contesting **Independent** candidate for the General Election to the Legislative Assembly of Madhya Pradesh, 2018 from **158-Ichhawar** Assembly Constituency, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/MP-LA/2018/WS-I]

By Order,

AMIT KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 18 मई, 2022

आ.अ. 69.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मध्य प्रदेश राज्य की विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./66/2018 दिनांक 06.10.2018 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 11.12.2018 थी।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः, संबंधित रिटर्निंग अधिकारी **21-भाण्डेर (अ.जा.)** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के परिणाम 11.12.2018 को घोषित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10.01.2019 थी।

और यतः, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मध्य प्रदेश के दिनांक **20.01.2019** के पत्र सं. **10-क/चार/निर्वा.व्यय लेखा/5-दतिया/2019/949** द्वारा अग्रेषित जिला निर्वाचन अधिकारी, **दतिया** जिला, मध्य प्रदेश द्वारा दिनांक **19.01.2019** को प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार **श्री अशोक दण्डौतिया**, मध्य प्रदेश के **21-भाण्डेर (अ.जा.)** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी, अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **दतिया** जिला, मध्य प्रदेश की रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए **श्री अशोक दण्डौतिया** को कारण बताओ नोटिस दिनांक **01.08.2019** को जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक **01.08.2019** के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए **श्री अशोक दण्डौतिया** को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर आयोग में लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, पूर्ण निर्वाचन व्यय का लेखा संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करें;

और यतः, उक्त नोटिस उनके द्वारा **16.08.2020** को प्राप्त किया गया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, **दतिया** द्वारा दिनांक **10.06.2021** के पत्र संख्या **क्यू./निर्वा.व्यय/2021/184** द्वारा आयोग को प्रस्तुत कर दी गई थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **दतिया** द्वारा अपने दिनांक **10.06.2021** के पत्र सं. **क्यू./निर्वा.व्यय/2021/184** के तहत प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि **श्री अशोक दण्डौतिया** ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही मूल वाउचरों आदि के साथ विधिवत रूप से हस्ताक्षरित अपने निर्वाचन व्यय के सही लेखे का विवरण प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक् नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त असफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि **श्री अशोक दण्डौतिया**, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास इस असफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा न्यायोचित्य नहीं है;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

- (क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- (ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा, मध्य प्रदेश राज्य की विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 के **21-भाण्डेर (अ.जा.)** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी, **श्री अशोक दण्डौतिया, निवासी ग्राम – देहाथ, थाने के बगल में, सैनिक नगर, भिण्ड, म.प्र.** को संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा अथवा विधान परिषद् के लिए सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[फा. सं. 76/म.प्र.-वि.स./2018/पश्चिम-1]

आदेश से,

अमित कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 18th May, 2022

O.N. 69.— WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Madhya Pradesh, 2018 was announced by Election Commission of India vide Press Note No ECI/PN/66/2018 dated 06.10.2018. As per the schedule, the Date of Counting of votes was 11.12.2018.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the date of election of returned candidate;

AND WHEREAS, the result of **21-Bhander (SC)** Assembly Constituency was declared by the Returning Officer concerned on 11.12.2018. As such the last date for lodging of account of election expenses was 10.01.2019.

AND WHEREAS, as per the report dated **19.01.2019** submitted by the District Election Officer, **Datia** District, Madhya Pradesh and forwarded by Chief Electoral Officer, Madhya Pradesh vide letter No.**10-A/ Four/Elec.Expenditure Account/5-Datia/2019/949** dated **20.01.2019**, **Shri Ashok Dandotiya**, contesting **Independent** candidate from **21-Bhander (SC)** Assembly Constituency of Madhya Pradesh, **failed to lodge any account of his election expenses.**

AND WHEREAS, on the basis of the report of the District Election Officer, **Datia** District, Madhya Pradesh, a Show Cause notice dated **01.08.2019** was issued by the Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 to **Shri Ashok Dandotiya** for non submission of accounts of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule(6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice dated **01.08.2019**, **Shri Ashok Dandotiya** was directed to submit his representation in writing to the Commission explaining the reason for non submission of accounts and also to lodge his complete accounts of election expenses to the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice; AND WHEREAS, the said notice was received by him on **16.08.2020**. Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by District Election Officer, **Datia** vide his letter No. **Q./Elec.Expenditure/2021/184** dated **10.06.2021**.

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, **Datia** vide his letter No. **Q./Elec.Expenditure/2021/184** dated **10.06.2021** it has been stated that **Shri Ashok Dandotiya** has not submitted any representation or a statement of correct account of his election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he has neither furnished any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, Commission is satisfied that **Shri Ashok Dandotiya** has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that :-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act; and
- (b) has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Shri Ashok Dandotiya**, resident of **Gram – Dehath, Thane Ke Bagal Me, Sainik Nagar, Bhind, MP**, the contesting **Independent** candidate for the General Election to the Legislative Assembly of Madhya Pradesh, 2018 from **21-Bhander (SC)** Assembly Constituency, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/MP-LA/2018/WS-I]

By Order,

AMIT KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 18 मई, 2022

आ.अ. 70.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मध्य प्रदेश राज्य की लोकसभा के साधारण निर्वाचन, 2019 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./23/2019 दिनांक 10.03.2019 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 23.05.2019 थी।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः, संबंधित रिटर्निंग अधिकारी **28-खण्डवा** लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के परिणाम 23.05.2019 को घोषित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 22.06.2019 थी।

और यतः, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मध्य प्रदेश के दिनांक **01.07.2019** के पत्र सं. **10-क/लो.स. 2019/चार/निर्वा.व्यय/खंडवा/13728** द्वारा अग्रेषित जिला निर्वाचन अधिकारी, **खण्डवा** जिला, मध्य प्रदेश द्वारा दिनांक **28.06.2019** को प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार **श्री दयाराम कोरकू (ठाकुर दादा)**, मध्य प्रदेश के **28-खण्डवा** लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले **बहुजन समाज पार्टी** के अभ्यर्थी, अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **खण्डवा** जिला, मध्य प्रदेश की रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए **श्री दयाराम कोरकू (ठाकुर दादा)** को कारण बताओ नोटिस दिनांक **09.12.2019** को जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक **09.12.2019** के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए **श्री दयाराम कोरकू (ठाकुर दादा)** को निदेश दिया गया था कि वे

इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर आयोग में लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, पूर्ण निर्वाचन व्यय का लेखा संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करें;

और यतः, उक्त नोटिस उनकी पत्नी द्वारा **22.02.2021** को प्राप्त किया गया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, **खण्डवा** द्वारा मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मध्य प्रदेश के पत्र संख्या **10क/4/लो.स.-2019/निर्वा.व्यय नोटिस/28-खण्डवा/1813** दिनांक **22.03.2020** के मध्यम से द्वारा आयोग को प्रस्तुत कर दी गई थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **खण्डवा** द्वारा मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पत्र सं. **10क/4/लो.स.-2019/निर्वा.व्यय नोटिस/28-खण्डवा/1813** दिनांक **22.03.2020** के मध्यम से प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री **दयाराम कोरकू (ठाकुर दादा)** ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही मूल वाउचरों आदि के साथ विधिवत रूप से हस्ताक्षरित अपने निर्वाचन व्यय के सही लेखे का विवरण प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक् नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त असफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री **दयाराम कोरकू (ठाकुर दादा)**, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास इस असफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा न्यायोचित्य नहीं है;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

- (क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- (ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा, मध्य प्रदेश राज्य की लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 के **28-खण्डवा** लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले **बहुजन समाज पार्टी** के अभ्यर्थी, श्री **दयाराम कोरकू (ठाकुर दादा)**, निवासी **110, नगीन नगर ए, जिला – इन्दौर, (म.प्र.)** को संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा अथवा विधान परिषद् के लिए सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[फा. सं. 76/म.प्र.-लो.स./2019/पश्चिम-1]

आदेश से,

अमित कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 18th May, 2022

O.N. 70.—WHEREAS, the General Election to the Lok Sabha in the state of Madhya Pradesh, 2019 was announced by Election Commission of India vide Press Note No ECI/PN/66/2018 dated 10.03.2019. As per the schedule, the Date of Counting of votes was 23.05.2019.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the date of election of returned candidate;

AND WHEREAS, the result of **28-Khandwa** Parliamentary Constituency was declared by the Returning Officer concerned on 23.05.2019. As such the last date for lodging of account of election expenses was 22.06.2019.

AND WHEREAS, as per the report dated **28.06.2019** submitted by the District Election Officer, **Khandwa** District, Madhya Pradesh and forwarded by Chief Electoral Officer, Madhya Pradesh vide letter No.**10-A/HP2019/Four/Elec.Expenditure/Khandwa/13728** dated **01.07.2019**, **Shri Dayaram Korku (Thakur Dada)**, the contesting candidate of **Bahujan Samaj Party** from **28-Khandwa** Parliamentary Constituency of Madhya Pradesh, **failed to lodge any account of his election expenses.**

AND WHEREAS, on the basis of the report of the District Election Officer, **Khandwa** District, Madhya Pradesh, a Show Cause notice dated **09.12.2019** was issued by the Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 to **Shri Dayaram Korku (Thakur Dada)** for non submission of accounts of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule(6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice dated **09.12.2019**, **Shri Dayaram Korku (Thakur Dada)** was directed to submit his representation in writing to the Commission explaining the reason for non submission of accounts and also to lodge his complete accounts of election expenses to the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice.

AND WHEREAS, the said notice was received by **his wife** on **22.02.2021**. Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by District Election Officer, **Khandwa** vide his letter No. **10A/4/HP-2019/Elec.Expenditure Notice/28-Khandwa/1813** dated **22.03.20**.

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, **Khandwa** and forwarded by CEO, MP vide his letter No. **10A/4/HP-2019/Elec.Expenditure Notice/28-Khandwa/1813** dated **22.03.20** it has been stated that **Shri Dayaram Korku (Thakur Dada)** has not submitted any representation or a statement of correct account of his election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he has neither furnished any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, Commission is satisfied that **Shri Dayaram Korku (Thakur Dada)** has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that :-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act; and
- (b) has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Shri Dayaram Korku (Thakur Dada)**, resident of **110, Nageen Nagar A, Dist. – Indore, MP** the contesting candidate of **Bahujan Samaj Party** for the General Election to the House of the People of Madhya Pradesh, 2019 from **28-Khandwa** Parliamentary Constituency, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/MP-HP/2019/WS-I]

By Order,

AMIT KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 18 मई, 2022

आ.अ. 71.— यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मध्य प्रदेश राज्य की लोकसभा के साधारण निर्वाचन, 2019 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./23/2019 दिनांक 10.03.2019 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 23.05.2019 थी।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः, संबंधित रिटर्निंग अधिकारी **28-खण्डवा** लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के परिणाम 23.05.2019 को घोषित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 22.06.2019 थी।

और यतः, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मध्य प्रदेश के दिनांक **01.07.2019** के पत्र सं.10-क/लो.स. 2019/चार/निर्वा.व्यय/खंडवा/13728 द्वारा अग्रेषित जिला निर्वाचन अधिकारी, **खण्डवा** जिला, मध्य प्रदेश द्वारा दिनांक **28.06.2019** को प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार **श्री रुकुम शाह**, मध्य प्रदेश के **28-खण्डवा** लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले **ऑल इंडिया उलेमा कांग्रेस** के अभ्यर्थी, अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **खण्डवा** जिला, मध्य प्रदेश की रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए **श्री रुकुम शाह** को कारण बताओ नोटिस दिनांक **09.12.2019** को जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक **09.12.2019** के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए **श्री रुकुम शाह** को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर आयोग में लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, पूर्ण निर्वाचन व्यय का लेखा संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करें;

और यतः, उक्त नोटिस उनकी पत्नी द्वारा **06.01.2020** को प्राप्त किया गया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद, जिला निर्वाचन अधिकारी, **खण्डवा** द्वारा मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मध्य प्रदेश के पत्र संख्या **10क/4/लो.स.-2019/निर्वा.व्यय नोटिस/28-खण्डवा/1813** दिनांक **22.03.2020** के माध्यम से आयोग को प्रस्तुत कर दी गई थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **खण्डवा** द्वारा मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मध्य प्रदेश के पत्र सं. **10क/4/लो.स.-2019/निर्वा.व्यय नोटिस/28-खण्डवा/1813** दिनांक **22.03.2020** के माध्यम से प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि **श्री रुकुम शाह** ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही मूल वाउचरों आदि के साथ विधिवत रूप से हस्ताक्षरित अपने निर्वाचन व्यय के सही लेखे का विवरण प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक् नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त असफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि **श्री रुकुम शाह** निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास इस असफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा न्यायोचित्य नहीं है;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

- (क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा, मध्य प्रदेश राज्य की लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 के **28-खण्डवा** लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले **ऑल इंडिया उलेमा कांग्रेस** के अभ्यर्थी, **श्री रुकुम शाह, निवासी हाउस नं. ई/7/991, बिलाबबाद – गेसुदराज कॉलोनी, गुलबर्गा, कर्नाटक** को संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा अथवा विधान परिषद् के लिए सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[फा. सं. 76/म.प्र.-लो.स./2019/पश्चिम-1]

आदेश से,

अमित कुमार सचिव

ORDER

New Delhi, the 18th May, 2022

O.N. 71.—WHEREAS, the General Election to the Lok Sabha in the state of Madhya Pradesh, 2019 was announced by Election Commission of India vide Press Note No ECI/PN/23/2019 dated 10.03.2019. As per the schedule, the Date of Counting was 23.05.2019.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the date of election of returned candidate;

AND WHEREAS, the result of **28-Khandwa** Parliamentary Constituency was declared by the Returning Officer concerned on 23.05.2019. As such the last date for lodging of account of election expenses was 22.06.2019.

AND WHEREAS, as per the report dated **28.06.2019** submitted by the District Election Officer, **Khandwa** District, Madhya Pradesh and forwarded by Chief Electoral Officer, Madhya Pradesh vide letter No. **10-A/HP2019/Four/Elec. Expenditure/ Khandwa/13728** dated **01.07.2019**, **Shri Rukum Shah**, the contesting candidate of **All India Ulama Congress** from **28-Khandwa** Parliamentary Constituency of Madhya Pradesh, **failed to lodge any account of his election expenses.**

AND WHEREAS, on the basis of the report of the District Election Officer, **Khandwa** District, Madhya Pradesh, a Show Cause notice dated **09.12.2019** was issued by the Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 to **Shri Rukum Shah** for non submission of accounts of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule(6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice dated **09.12.2019**, **Shri Rukum Shah** was directed to submit his representation in writing to the Commission explaining the reason for non submission of accounts and also to lodge his complete accounts of election expenses to the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by **his wife** on **06.01.2020**. Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by District Election Officer, **Khandwa** and forwarded by CEO, MP vide his letter No. **10A/4/HP-2019/Elec.Expenditure Notice/28-Khandwa/1813** dated **22.03.2020**.

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, **Khandwa** and forwarded by CEO, MP vide his letter No. **10A/4/HP-2019/Elec.Expenditure Notice/28-Khandwa/1813** dated **22.03.2020** it has been stated that **Shri Rukum Shah** has not submitted any representation or a statement of correct account of his election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he has neither furnished any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, Commission is satisfied that **Shri Rukum Shah** has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that :-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act; and
- (b) has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Shri Rukum Shah**, resident of **H.No. E/7/991, Bilalbad – Gesudraj Colony, Gulbarga, Karnataka** the contesting candidate of **All India Ulama Congress** for the General Election to the House of the People of Madhya Pradesh, 2019 from **28-Khandwa** Parliamentary Constituency, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No.76/MP-HP/2019/WS-I]

By Order,

AMIT KUMAR Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 18 मई, 2022

आ.अ. 72.— यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मध्य प्रदेश राज्य की विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./66/2018 दिनांक 06.10.2018 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 11.12.2018 थी।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः, संबंधित रिटर्निंग अधिकारी **66-अमरपाटन** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के परिणाम 11.12.2018 को घोषित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10.01.2019 थी।

और यतः, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मध्य प्रदेश के दिनांक **19.01.2019** के पत्र सं. **10-क/चार/निर्वा.व्यय लेखा/14-सतना/2019/876** द्वारा अग्रेषित जिला निर्वाचन अधिकारी, सतना जिला, मध्य प्रदेश द्वारा दिनांक **16.01.2019** को प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार डॉ. संतोष कुमार गुप्ता, मध्य प्रदेश के **66-अमरपाटन** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले **गोंडवाना गणतंत्र पार्टी** के अभ्यर्थी, अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, सतना जिला, मध्य प्रदेश की रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए डॉ. संतोष कुमार गुप्ता को कारण बताओ नोटिस दिनांक **03.07.2020** को जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक **03.07.2020** के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए डॉ. संतोष कुमार गुप्ता को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर आयोग में लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, पूर्ण निर्वाचन व्यय का लेखा संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करें;

और यतः, उक्त नोटिस उनके द्वारा **16.07.2020** को प्राप्त किया गया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, सतना द्वारा दिनांक **02.09.2020** के पत्र संख्या **610/ई/15-25/निर्वा./व्ययलेखा/2020** द्वारा आयोग को प्रस्तुत कर दी गई थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, सतना द्वारा अपने दिनांक **02.09.2020** के पत्र सं. **610/ई/15-25/निर्वा./व्ययलेखा/2020** के तहत प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि डॉ. संतोष कुमार गुप्ता ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही मूल वाउचरों आदि के साथ विधिवत रूप से हस्ताक्षरित अपने निर्वाचन व्यय के सही लेखे का विवरण प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक् नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त असफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि डॉ. संतोष कुमार गुप्ता, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास इस असफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा न्यायोचित्य नहीं है;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

- (क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- (ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा, मध्य प्रदेश राज्य की विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 के **66-अमरपाटन** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले **गोंडवाना गणतंत्र पार्टी** के अभ्यर्थी, डॉ. संतोष कुमार गुप्ता, निवासी ग्राम – **अमिलिया, पोस्ट – हरई, थाना – रामनगर, तह.-रामनगर, जिला – सतना, (म.प्र.)** को संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा अथवा विधान परिषद् के लिए सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[फा. सं. 76/म.प्र.-वि.स./2018/पश्चिम-1]

आदेश से,

अमित कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 18th May, 2022

O.N. 72.—WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Madhya Pradesh, 2018 was announced by 72Election Commission of India vide Press Note No ECI/PN/66/2018 dated 06.10.2018. As per the schedule, the Date of Counting of votes was 11.12.2018.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the date of election of returned candidate;

AND WHEREAS, the result of **66-Amarpatan** Assembly Constituency was declared by the Returning Officer concerned on 11.12.2018. As such the last date for lodging of account of election expenses was 10.01.2019.

AND WHEREAS, as per the report dated **16.01.2019** submitted by the District Election Officer, **Satna** District, Madhya Pradesh and forwarded by Chief Electoral Officer, Madhya Pradesh vide letter No.**10-A/ Four/Elec.Expenditure Account/14-Satna/2019/876** dated **19.01.2019**, **Dr. Santosh Kumar Gupta**, contesting candidate of **Gondvana Gantantra Party** from **66-Amarpatan** Assembly Constituency of Madhya Pradesh, **failed to lodge any account of his election expenses.**

AND WHEREAS, on the basis of the report of the District Election Officer, **Satna** District, Madhya Pradesh, a Show Cause notice dated **03.07.2020** was issued by the Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 to **Dr. Santosh Kumar Gupta** for non submission of accounts of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule(6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice dated **03.07.2020**, **Dr. Santosh Kumar Gupta** was directed to submit his representation in writing to the Commission explaining the reason for non submission of accounts and also to lodge his complete accounts of election expenses to the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by **him** on **16.07.2020**. Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by District Election Officer, **Satna** vide his letter No. **610/E/15-25/Elec./ExpenditureAccount/2020** dated **02.09.2020**.

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, **Satna** vide his letter No. **610/E/15-25/Elec./ExpenditureAccount/2020** dated **02.09.2020** it has been stated that **Dr. Santosh Kumar Gupta** has not submitted any representation or a statement of correct account of his election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he has neither furnished any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, Commission is satisfied that **Dr. Santosh Kumar Gupta** has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that :-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act; and
- (b) has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Dr. Santosh Kumar Gupta**, resident of **Village – Amiliya, Post – Harrai, Thana – Ramnagar, The Ramnagar, Distt – Satna (M.P.)**, the contesting candidate of **Gondvana Gantantra Party** for the General Election to the Legislative Assembly of Madhya Pradesh, 2018 from **66-Amarpatan** Assembly Constituency, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No.76/MP-LA/2018/WS-I]

By Order,

AMIT KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 18 मई, 2022

आ.अ. 73.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मध्य प्रदेश राज्य की विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./66/2018 दिनांक 06.10.2018 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 11.12.2018 थी।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः, संबंधित रिटर्निंग अधिकारी 98-जबलपुर उत्तर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के परिणाम 11.12.2018 को घोषित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10.01.2019 थी।

और यतः, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मध्य प्रदेश के दिनांक 19.01.2019 के पत्र सं. 10-क/चार/निर्वा.व्यय लेखा/22-जबलपुर/2019/929 द्वारा अग्रेषित जिला निर्वाचन अधिकारी, जबलपुर जिला, मध्य प्रदेश द्वारा दिनांक 17.01.2019 को प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार श्री संजू ठाकुर, मध्य प्रदेश के 98-जबलपुर उत्तर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी, अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, जबलपुर जिला, मध्य प्रदेश की रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री संजू ठाकुर को कारण बताओ नोटिस दिनांक 19.07.2019 को जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 19.07.2019 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री संजू ठाकुर को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर आयोग में लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, पूर्ण निर्वाचन व्यय का लेखा संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करें;

और यतः, उक्त नोटिस उनकी पत्नी द्वारा 26.07.2019 को प्राप्त किया गया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, जबलपुर द्वारा दिनांक 27.07.2019 के पत्र संख्या 1584/निर्वाचन/2019 द्वारा आयोग को प्रस्तुत कर दी गई थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, जबलपुर द्वारा अपने दिनांक 13.08.2020 के पत्र सं. 422/निर्वा.व्यय/2020 के तहत प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री संजू ठाकुर ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही मूल वाउचरों आदि के साथ विधिवत रूप से हस्ताक्षरित अपने निर्वाचन व्यय के सही लेखे का विवरण प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक् नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त असफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री संजू ठाकुर, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास इस असफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा न्यायोचित्य नहीं है;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

- (क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- (ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा, मध्य प्रदेश राज्य की विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 के **98-जबलपुर उत्तर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र** से निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी, **श्री संजू ठाकुर, निवासी 90/148, विजय नगर, कचनार सिटी गेट के पास, जबलपुर, म.प्र.** को संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा अथवा विधान परिषद् के लिए सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[फा. सं. 76/म.प्र.-वि.स./2018/पश्चिम-1]

आदेश से,

अमित कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 18th May, 2022

O.N. 73.— WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Madhya Pradesh, 2018 was announced by Election Commission of India vide Press Note No ECI/PN/66/2018 dated 06.10.2018. As per the schedule, the Date of Counting of votes was 11.12.2018.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the date of election of returned candidate;

AND WHEREAS, the result of **98-Jabalpur Uttar** Assembly Constituency was declared by the Returning Officer concerned on 11.12.2018. As such the last date for lodging of account of election expenses was 10.01.2019.

AND WHEREAS, as per the report dated **17.01.2019** submitted by the District Election Officer, **Jabalpur** District, Madhya Pradesh and forwarded by Chief Electoral Officer, Madhya Pradesh vide letter No.**10-A/ Four/Elec.Expenditure Account/22-Jabalpur/2019/929** dated **19.01.2019**, **Shri Sanju Thakur**, contesting **Independent** candidate from **98-Jabalpur Uttar** Assembly Constituency of Madhya Pradesh, **failed to lodge any account of his election expenses.**

AND WHEREAS, on the basis of the report of the District Election Officer, **Jabalpur** District, Madhya Pradesh, a Show Cause notice dated **19.07.2019** was issued by the Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 to **Shri Sanju Thakur** for non submission of accounts of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule(6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice dated **19.07.2019**, **Shri Sanju Thakur** was directed to submit his representation in writing to the Commission explaining the reason for non submission of accounts and also to lodge his complete accounts of election expenses to the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by **his wife** on **26.07.2019**. Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by District Election Officer, **Jabalpur** vide his letter No. **1584/Election/2019** dated **27.07.2019**.

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, **Jabalpur** vide his letter No. **422/Elec.Expenditure/2020** dated **13.08.2020** it has been stated that **Shri Sanju Thakur** has not submitted any

representation or a statement of correct account of his election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he has neither furnished any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, Commission is satisfied that **Shri Sanju Thakur** has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that :-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act; and
- (b) has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Shri Sanju Thakur**, resident of **90/148, Vijay Nagar, Kachnar City Gate ke pas, Jabalpur, MP**, the contesting **Independent** candidate for the General Election to the Legislative Assembly of Madhya Pradesh, 2018 from **98-Jabalpur Uttar** Assembly Constituency, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No.76/MP-LA/2018/WS-I]

By Order,

AMIT KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 18 मई, 2022

आ.अ. 74.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मध्य प्रदेश राज्य की विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./66/2018 दिनांक 06.10.2018 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 11.12.2018 थी।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः, संबंधित रिटर्निंग अधिकारी **98-जबलपुर उत्तर** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के परिणाम 11.12.2018 को घोषित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10.01.2019 थी।

और यतः, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मध्य प्रदेश के दिनांक **19.01.2019** के पत्र सं. **10-क/चार/निर्वा.व्यय लेखा/22-जबलपुर/2019/929** द्वारा अग्रेषित जिला निर्वाचन अधिकारी, जबलपुर जिला, मध्य प्रदेश द्वारा दिनांक **17.01.2019** को प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार **श्री सखावत खान साहब**, मध्य प्रदेश के **98-जबलपुर उत्तर** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले **गोंडवाना गणतंत्र पार्टी** के अभ्यर्थी, अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, जबलपुर जिला, मध्य प्रदेश की रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए **श्री सखावत खान साहब** को कारण बताओ नोटिस दिनांक **19.07.2019** को जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक **19.07.2019** के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए **श्री सखावत खान साहब** को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर आयोग में लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, पूर्ण निर्वाचन व्यय का लेखा संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करें;

और यतः, उक्त नोटिस उनके द्वारा **25.07.2019** को प्राप्त किया गया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, जबलपुर द्वारा दिनांक **27.07.2019** के पत्र संख्या **1584/निर्वाचन/2019** द्वारा आयोग को प्रस्तुत कर दी गई थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, जबलपुर द्वारा अपने दिनांक **13.08.2020** के पत्र सं. **422/निर्वा.व्यय/2020** के तहत प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि **श्री सखावत खान साहब** ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही मूल वाउचरों आदि के साथ विधिवत रूप से हस्ताक्षरित अपने निर्वाचन व्यय के सही लेखे का विवरण प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक् नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त असफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि **श्री सखावत खान साहब**, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास इस असफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा न्यायोचित्य नहीं है;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

- (क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- (ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा, मध्य प्रदेश राज्य की विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 के **98-जबलपुर उत्तर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र** से निर्वाचन लड़ने वाले **गोंडवाना गणतंत्र पार्टी** के अभ्यर्थी, **श्री सखावत खान साहब**, निवासी **182, नालबंद मोहल्ला, मोतीनाला, गोहलपुर**, को संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा अथवा विधान परिषद् के लिए सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[फा. सं. 76/म.प.-वि.स./2018/पश्चिम-1]

आदेश से,

अमित कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 18th May, 2022

O.N. 74.—WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Madhya Pradesh, 2018 was announced by Election Commission of India vide Press Note No ECI/PN/66/2018 dated 06.10.2018. As per the schedule, the Date of Counting of votes was 11.12.2018.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the date of election of returned candidate;

AND WHEREAS, the result of **98-Jabalpur Uttar** Assembly Constituency was declared by the Returning Officer concerned on 11.12.2018. As such the last date for lodging of account of election expenses was 10.01.2019.

AND WHEREAS, as per the report dated **17.01.2019** submitted by the District Election Officer, **Jabalpur** District, Madhya Pradesh and forwarded by Chief Electoral Officer, Madhya Pradesh vide letter No.**10-A/Four/Elec.Expenditure Account/22-Jabalpur/2019/929** dated **19.01.2019**, **Shri Sakhwat Khan Sahab**, contesting candidate of **Gondvana Gantantra Party** from **98-Jabalpur Uttar** Assembly Constituency of Madhya Pradesh, **failed to lodge any account of his election expenses.**

AND WHEREAS, on the basis of the report of the District Election Officer, **Jabalpur** District, Madhya Pradesh, a Show Cause notice dated **19.07.2019** was issued by the Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 to **Shri Sakhwat Khan Sahab** for non submission of accounts of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule(6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice dated **19.07.2019**, **Shri Sakhwat Khan Sahab** was directed to submit his representation in writing to the Commission explaining the reason for non submission of accounts and also to lodge his complete accounts of election expenses to the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by **him** on **25.07.2019**. Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by District Election Officer, **Jabalpur** vide his letter No. **1584/Election/2019** dated **27.07.2019**.

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, **Jabalpur** vide his letter No. **422/Elec.Expenditure/2020** dated **13.08.2020** it has been stated that **Shri Sakhwat Khan Sahab** has not submitted any representation or a statement of correct account of his election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he has neither furnished any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, Commission is satisfied that **Shri Sakhwat Khan Sahab** has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that :-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act; and
- (b) has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Shri Sakhwat Khan Sahab**, resident of **182, Nalband Mohalla, Motinala, Gohalpur**, the contesting candidate of **Gondvana Gantantra Party** for the General Election to the Legislative Assembly of Madhya Pradesh, 2018 from **98-Jabalpur Uttar** Assembly Constituency, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No.76/MP-LA/2018/WS-I]

By Order,

AMIT KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 18 मई, 2022

आ.अ. 75.— यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मध्य प्रदेश राज्य की विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./66/2018 दिनांक 06.10.2018 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 11.12.2018 थी।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः, संबंधित रिटर्निंग अधिकारी 98-जबलपुर उत्तर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के परिणाम 11.12.2018 को घोषित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10.01.2019 थी।

और यतः, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मध्य प्रदेश के दिनांक 19.01.2019 के पत्र सं. 10-क/चार/निर्वा.व्यय लेखा/22-जबलपुर/2019/929 द्वारा अग्रेषित जिला निर्वाचन अधिकारी, जबलपुर जिला, मध्य प्रदेश द्वारा दिनांक 17.01.2019 को प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार श्री श्याम कृष्ण तिवारी (कल्लू), मध्य प्रदेश के 98-जबलपुर उत्तर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी, अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, जबलपुर जिला, मध्य प्रदेश की रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री श्याम कृष्ण तिवारी (कल्लू) को कारण बताओ नोटिस दिनांक 19.07.2019 को जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 19.07.2019 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री श्याम कृष्ण तिवारी (कल्लू) को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर आयोग में लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, पूर्ण निर्वाचन व्यय का लेखा संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करें;

और यतः, उक्त नोटिस उनके द्वारा 26.07.2019 को प्राप्त किया गया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, जबलपुर द्वारा दिनांक 27.07.2019 के पत्र संख्या 1584/निर्वाचन/2019 द्वारा आयोग को प्रस्तुत कर दी गई थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, जबलपुर द्वारा अपने दिनांक 13.08.2020 के पत्र सं. 422/निर्वा.व्यय/2020 के तहत प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री श्याम कृष्ण तिवारी (कल्लू) ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही मूल वाउचरों आदि के साथ विधिवत रूप से हस्ताक्षरित अपने निर्वाचन व्यय के सही लेखे का विवरण प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक् नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त असफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री श्याम कृष्ण तिवारी (कल्लू), निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास इस असफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा न्यायोचित्य नहीं है;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

- (क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- (ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा, मध्य प्रदेश राज्य की विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 के 98-जबलपुर उत्तर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी, श्री श्याम कृष्ण तिवारी (कल्लू), निवासी 725, शुक्वारी बजरिया, हनुमानताल वार्ड, जबलपुर, म.प्र. को संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा अथवा विधान परिषद् के लिए सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[फा. सं. 76/म.प्र.-वि.स./2018/पश्चिम-1]

आदेश से,

अमित कुमार, सचिव

ORDER

New Dehi, the 18th May, 2022

O.N. 75.—WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Madhya Pradesh, 2018 was announced by Election Commission of India vide Press Note No ECI/PN/66/2018 dated 06.10.2018. As per the schedule, the Date of Counting of votes was 11.12.2018.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the date of election of returned candidate;

AND WHEREAS, the result of **98-Jabalpur Uttar** Assembly Constituency was declared by the Returning Officer concerned on 11.12.2018. As such the last date for lodging of account of election expenses was 10.01.2019.

AND WHEREAS, as per the report dated **17.01.2019** submitted by the District Election Officer, **Jabalpur** District, Madhya Pradesh and forwarded by Chief Electoral Officer, Madhya Pradesh vide letter No.**10-A/Four/Elec.Expenditure Account/22-Jabalpur/2019/929** dated **19.01.2019**, **Shri Shyam Krishna Tiwari (Kallu)**, contesting **Independent** candidate from **98-Jabalpur Uttar** Assembly Constituency of Madhya Pradesh, **failed to lodge any account of his election expenses.**

AND WHEREAS, on the basis of the report of the District Election Officer, **Jabalpur** District, Madhya Pradesh, a Show Cause notice dated **19.07.2019** was issued by the Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 to **Shri Shyam Krishna Tiwari (Kallu)** for non submission of accounts of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule(6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice dated **19.07.2019**, **Shri Shyam Krishna Tiwari (Kallu)** was directed to submit his representation in writing to the Commission explaining the reason for non submission of accounts and also to lodge his complete accounts of election expenses to the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by **him** on **26.07.2019**. Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by District Election Officer, **Jabalpur** vide his letter No. **1584/Election/2019** dated **27.07.2019**.

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, **Jabalpur** vide his letter No. **422/Elec.Expenditure/2020** dated **13.08.2020** it has been stated that **Shri Shyam Krishna Tiwari (Kallu)** has not submitted any representation or a statement of correct account of his election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he has neither furnished any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, Commission is satisfied that **Shri Shyam Krishna Tiwari (Kallu)** has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that :-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act; and
- (b) has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Shri Shyam Krishna Tiwari (Kallu)**, resident of **725, Shukrawari, Bajariya, Hanumanal Ward, Jabalpur, MP**, the contesting **Independent** candidate for the General Election to the Legislative Assembly of Madhya Pradesh, 2018 from **98-Jabalpur Uttar** Assembly Constituency, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/MP-LA/2018/WS-I]

By Order,

AMIT KUMAR, Secy.